

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलेक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 36/2025

अनवान :

1. संतुराम पुत्र भादरराम जाति मेघवाल निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. पप्पू पुत्र भादरराम जाति मेघवाल निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. मोहनलाल पुत्र भादरराम जाति मेघवाल निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. महावीर पुत्र भादरराम जाति मेघवाल निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. अमरसिंह भादरराम जाति मेघवाल निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. विनोद कुमार पुत्र स्व० कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. नोरंगलाल पुत्र स्व० कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

1. भादरराम पुत्र अनाराम जाति मेघवाल निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. चिडिया देवी पुत्री भादरराम पत्नी बेगाराम जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. सन्तोष पुत्री भादरराम पत्नी बुधराम जाति मेघवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. धर्मादेवी पत्नी स्व० कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. सरोज पुत्री स्व० कुम्भाराम पत्नी सुरेश जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति:- 1 अधिवक्ता श्री विकास शर्मा


:- वादीगण

2 अधिवक्ता श्री कुन्दनलाल

:- प्रतिवादीगण


डिक्री

दिनांक 31/01/25.....


उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपाखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादीगण श्री महेश मीड व सुनील शर्मा आविवकता प्रतिवादीगण अखिल निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य संपूर्ण एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुपस्थित डिक्री किये जाकर घोषणा की जाती है कि प्रतिवादी सं० 1 भादूरराम के नाम से चक नं० 10 आर डबल्यू डी के खाता सं० 144/30 में अंकित कुल 39585 हे० कमाण्ड, 2000 मय गै०मु० आराजी में से वादीगण सं० 1 ता 5 प्रत्येक को 0.506 हे० तथा वादीगण सं० 6 व 7 को 0.506 हे० में ब०हि०व० आराजी के वादीगण को खातेदार कारतकार घोषित किये जाकर चक नं० 10 आर डबल्यू डी के खाता सं० 144/30 में से प्रतिवादी सं० 1 भादूरराम का हिरसा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। ईजराय प्रार्थना पत्र के सलंगन 500 रु का स्टाम्प तकीमलन शामिल किया जावे। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31/01/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण R.A.S.)
उपाखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पद एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी